परिवहन क्षेत्र को बर्बाद करने वाली भाजपा और उसके सहयोगियों को हराऐं!
देश को बचाने और सड़क परिवहन कर्मियों की सुरक्षा के लिए
वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट दें!!

प्रिय भाइयों और बहनों!

18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल–मई में होने वाले हैं। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और उनके परिवारों से अपील करता है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने वोट का प्रयोग करें। किसी भी राजनीतिक दल को वोट देने से पहले हमें दो–तीन बार सोचना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है। मुख्य मानदंड आमतौर पर हमारे राष्ट्र और विशेष रूप से सड़क परिवहन क्षेत्र और हमारी आजीविका की रक्षा करना होना चाहिए। केन्द्र में जो सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया उसने पिछले 10 वर्षों में देश को बर्बाद कर दिया है। आम परिवहन अपराधों के लिए दंड को कई गुना बढ़ा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कानून की माँग जोर–शोर से सुनी जा रही थी। ईंधन की कीमतें, बीमा प्रीमियम, टोल शुल्क आसमान छू रहे हैं। आजीविका दांव पर है। इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसी परिवहन क्षेत्र विरोधी, जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों को अपने शक्तिशाली वोट के हथियार से हराया जाए।

मजदूरों की दयनीय स्थितियां: असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों को पीएफ, ईएसआई, साप्ताहिक आराम का दिन, 8 घंटे की ड्यूटी आदि जैसे किसी भी श्रम कानून के तहत कवर नहीं किया जाता है। विशेष रूप से ड्राइवरों को अपने जीवन की कीमत पर भी चौबीसों घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है। रास्ते में आराम और खाने की कोई सुविधा नहीं हैं। ड्राइविंग के अत्यधिक कुशल पेशे के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कानून की माँग बुरी तरह उपेक्षित है।

ऑटो रिक्शा: अधिकांश ऑटो रिक्शा चालक ही मालिक हैं और वे स्वयं ही चालक हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। उन पर मामूली आधार पर बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों को पार्किंग स्थल आवंटित करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में वे ऐसा करने में विफल रहे हैं और ऑटो रिक्शा चालकों को यह कहकर दंडित किया जा रहा है कि उन्होंने अनधिकृत जगह पर गाड़ी रोकी हुई है। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न करना चरम पर है।

भारतीय न्याय संहिता: भारत सरकार ने दुर्घटना के मामलों में कुख्यात अधिनियम में कठोर प्रावधान लागू करके सम्पूर्ण वाहन चालक जनता–विशेषकर चालकों पर हमला किया है। प्रावधानों के लागू होने पर भारी जुर्माने के साथ सभी चालक जेल में होंगे। इसके तुरंत बाद ड्राइवरों ने 01 और 02 जनवरी 2024 को हड़ताल पर जाकर इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब सरकार को यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वे कार्यान्वयन से पहले परामर्श करेंगे। लेकिन सरकार ने 106(2) को छोड़कर बाकी सारे एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन 106(1) जो 5 वर्ष निर्धारित करता है के कारावास और जुर्माने का प्रावधान लागू किया जा रहा है। इस प्रकार, क्रूरता की तलवार अभी भी हर चालक के सिर पर लटकी हुई है।

एप आधारित चालको: उबर/ओला/रैपिडो/पोर्टर/लाइन्क आदि एप आधारित कम्पनियों द्वारा ड्राइवरों का खून निचोड़ा जा रहा है। ड्राइवरों को न तो उन कम्पनियों का कर्मचारी माना जाता है और ना ही उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरकार ड्राइवरों की सुरक्षा और ग्राहकों के फायदे के लिए एक वैकल्पिक ऐप विकसित कर सकती है जैसा कि केरल राज्य सरकार ने किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस माँग को अनसुना कर दिया।

एमवी संशोधन अधिनियम, 2019: इसे, पूरे सड़क परिवहन क्षेत्र को, जो अपने छोटे, मध्यम आकार के स्वामित्व के लिए जाना जाता है, बड़े कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के इरादे से लाया गया था। वाहन चालकों का खून निचोड़ते हुए जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है।

डीजल की कीमतें:मई 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 109 अमेरिकी डॉलर थीं। तब प्रति लीटर डीजल की कीमत करीब 20 रुपये प्रति लीटर थी. 56. अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 82 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन प्रति लीटर डीजल की कीमत करीब 10 रुपये है. 95. इस तरह सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मेहनत की कमाई लूट ली है. इससे भी अधिक क्रूरता यह है कि कोविड महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भारी गिरावट के साथ 20 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई हैं। लेकिन सरकार ने 2020 में 3 महीने के भीतर डीजल की कीमतें कम नहीं की बल्कि एक्साइज ड्यूटी 16 रुपये प्रति

लीटर बढ़ा दी.

बीमा प्रीमियमरूसभी वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम को दोगुना और उससे भी अधिक कर दिया गया है। आम तौर पर प्रीमियम का निर्धारण दुर्घटनाओं और भुगतान किए गए मुआवजे के आधार पर किया जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी पिछले 10 सालों में दुर्घटनाएं दोगुनी नहीं हुई हैं. फिर भी प्रीमियम दोगुना कर दिया गया है. यह बीमा कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है.

अत्यधिक टोल शुल्क (लूट)रूसरकार हर लीटर डीजल और पेट्रोल पर 12 रुपये सड़क विकास उपकर के तौर पर वसूल रही है. साल 2017 में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कर दिया है. इस खाते के तहत हर साल लाखों रुपये की वसूली हो रही है. फिर टोल शुल्क वसूलना लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। निश्चित अवधि के बाद टोल शुल्क समाप्त करना होगा। लेकिन व्यवहार में इन्हें जारी रखा जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि हर साल टोल शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह लोगों को लूटने के अलावा कुछ नहीं है।श

स्क्रैपिंग नीतिरूसरकार वाहन स्क्रैपिंग नीति लेकर आई है, जिससे छोटे वाहन मालिकों और व्यक्तिगत निजी वाहन मालिकों पर भी बोझ पड़ेगा। इसका उद्देश्य विनिर्माण कम्पनियों के मुनाफे की रक्षा करना है।

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उपरोक्त सभी नीतियों के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन क्षेत्र गंभीर संकट में है और श्रमिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

वादों की अवहेलनाः 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान भाजपा और नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को 100 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करना, बेरोजगार युवाओं के लिए दो करोड़ नौकरियां पैदा करना, सभी नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपये जमा करना आदि कुछ वादों का आश्वासन दिया। इन सभी वादों को सरकार ने सत्ता में आने के बाद झुठला दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोई नई नौकरियाँ पैदा नहीं हुई हैं बल्कि नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। काले धन को सफेद धन बना दिया गया है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार चरम पर हैं। एमएसपी आदि पर किसानों को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन हो रहा है। इससे भी ज्यादा जनता को साम्प्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है।

इसलिए, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी सड़क परिवहन मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने और उन लोगों को वोट देने की अपील करता है जो इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे आते हैं और निम्नलिखित माँगों को लागू करने का आश्वासन देते हैं।

1. असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए।
2. नियोजित मजदूरों की संख्या की परवाह किए बिना सभी श्रम कानून सभी सड़क परिवहन मजदूरों पर लागू किए जाऐं।
3. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त विश्राम कक्ष उपलब्ध कराए जाऐं।
4. सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेषज्ञों के साथ एक स्वतंत्र जाँच दल का गठन किया जाना चाहिए।
5. स्व–रोजगार वाले वाणिज्यिक वाहन मालिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की जाऐ और निजी वित्त कम्पनियों द्वारा शोषण को रोका जाएगा।
6. बीएनएस के दंड प्रावधान 106(1) और (2) को वापस लिया जाए।
7. एमवीएक्ट संशोधन 2019 को निरस्त किया जाए।
8. डीजल की कीमतें, बीमा प्रीमियम और टोल शुल्क को विनियमित किया जाए।
9. भारत सरकार को ड्राइवरों और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उबर/ओला/रैपिडो आदि के लिए एक वैकल्पिक ऐप विकसित करना चाहिए और किराए, मजदूरों के कल्याण आदि के सम्बन्ध में मौजूदा ऐप कम्पनियों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।
10. वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। यह वैकल्पिक होना चाहिए।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआईआरटीडब्ल्यूएफ)